फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

ग्यारसीलाल वगै0 बनाम सरकार

[illegible]ा नम्बर : 36 / 2021

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 23.09.2024 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।<br>वकील वादी ने अपनी बहस में प्रा0 पत्र में बिन्दूओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 273 रकबा 1.5680है0 ग्राम टीकमपुरा, तहसील जमवारामगए, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण पूर्व राजस्व नक्शें अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 273 के पूर्व खसरा नम्बर 1499 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1498 रकबा 2 बीघा थे उक्त खसरा नम्बर 1499 के बाद में खसरा नम्बर 1499 / 273 बने इस प्रकार नया खसरा नम्बर 273 पूर्व ख़सरा नम्बर 1499 / 273 एवं 1498 से बना है। प्रार्थीगण के पूर्व खसरा नम्बर 1499 एवं बाद के नम्बर 1499 / 273 में प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शित भूमि खसरा नम्बर 1499 में दर्शित थी परन्तु वर्तमान मे बनाये गये नक्शें खसरा नम्बर 273 में लाल रंग से दर्शित स्थान एवं खसरा नम्बर 273 के बीच में आडी लाईन दर्शा दी गई है जबकि लाल रंग से दर्शित स्थान खसरा नम्बर 273 का ही भाग है जिन्हे नक्शें में पृथक दर्शा दिया गया है। एवं खसरा नम्बर 273 के उत्तरी दिशा में आडी लाईन जो लाल रंग से दर्शायी गई है खसरा नम्बर 273 का ही भाग है इसलिये उसके मध्य डाली गई लाईन जो खसरा नम्बर 273 को उसकी लाल रंग से दर्शित भूमि से पृथक करती है को हटाना आवश्यक है।<br>अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने जवाब / रिपोर्ट में अवगत कराया कि ग्राम टीकमपुरा के खसरा नम्बर 273 का वर्तमान डीआईएलआरएमपी नक्शा एवं भूमि एकीकरण नक्शें का अवलोकन करने पर वर्तमान डीआईएलआरएमपी नक्शें एवं भूमि एकीकरण में किसी प्रकार का कोई अन्तर नही है।<br>पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस का मनन करने प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू0राजस्व अधिनियम पोषणिय नही होने से खारिज किया जाता है।<br>निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवारामगढ जिला-जयपुर | |